**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 559 सन 2020

अनवान :–

1. विक्रम जीत पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर ।
3. स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री हनासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 44/40 की कुल 5.3130हैक व खाता संख्या 120/111 की कुल 6.8310हैक व चक 36 डीपीएन के खाता संख्या 59/56 की कुल 1.6440हैक व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 44/40 की कुल 5.3130हैक व खाता संख्या 120/111 की कुल 6.8310हैक व चक 36 डीपीएन के खाता संख्या 59/56 की कुल 1.6440हैक व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 44/40 की कुल 5.3130हैक व खाता संख्या 120/111 की कुल 6.8310हैक व चक 36 डीपीएन के खाता संख्या 59/56 की कुल 1.6440हैक व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक व रोही मौजा सोतीवडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमावन्दी सम्वत 2057 से 2060 के अनुसार वाद भूमि मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मेहरचन्द्र वल्द डुगरराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 44/40 की कुल 5.3130हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 120/111 की कुल 6.8310हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिव 215/2277 हिस्सा व चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 59/56 की कुल 1.6440हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव 1/2 हिस्सा व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव 1/2 हिस्सा व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. विक्रम जीत पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीवडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामप्रसाद पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन सोतीवडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीवडी तहसील नोहर ।
3. स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 559 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 23/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता चोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 44/40 की कुल 5.3130हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 120/111 की कुल 6.8310हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब 215/2277 हिस्सा व चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 59/56 की कुल 1.6440हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा व रोही मौजा सोतीवडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. विक्रम जीत पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीवडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामप्रसाद पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन सोतीवडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीवडी तहसील नोहर ।
3. स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 559 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 31/12/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 139/44 की कुल 2.6450हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वहिव 1/2 हिस्सा व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वहिव 1/2 हिस्सा व रोही मौजा सोतीवडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वहिव 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. विक्रम जीत पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामप्रसाद पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर ।
3. स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 559 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 23/9/20

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व पर्चा डिक्री दिनांक 23.09.2020 में रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 59/56 की कुल 1.6440हैक भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है अंकित नही हुआ को अंकित किया जाता है तथा रोही मौजा रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 139/44 की कुल 2.6450हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व चक 13 बारानी के खाता संख्या 8/9 की कुल 1.1380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 46/45 की कुल 4.8690हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें 1/2 हिस्सा दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/2/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner